क्रम-संख्या–69(घ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 11 मई, 2020
बैशाख 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 439/ग्यारह-2–9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(113)-2020
लखनऊ, 11 मई, 2020

अधिसूचना

प0आ0–115

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर एतद्द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करती हैं।

2–उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान प्रभावी, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–1** में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे उक्त सारिणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेगें, अर्थात् :–

सारणी

क्रम–संख्या	त्रैमास जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर–1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं	प्ररूप जीएसटीआर–1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि
1	2	3
1	अप्रैल, 2020 से जून, 2020	31 जुलाई, 2020
2	जुलाई, 2020 से सितम्बर, 2020	31 अक्टूबर, 2020

3–अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय–सीमा तत्पश्चात् सरकारी गजट में अधिसूचित की जाएगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 439/XI--2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(113)-2020, dated May 11 , 2020 :

No. 439/XI--2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(113)-2020

Dated Lucknow, May 11, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
1	2	3
1	April, 2020 to June, 2020	31st July, 2020
2	July, 2020 to September, 2020	31st October, 2020

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of April, 2020 to September, 2020 shall be subsequently notified in the Official *Gazette*.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 65 राजपत्र–2020–(126)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 15 सा0 राज्यकर–2020–(127)–3500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

65 rph Raja kar anu-2 data-7